रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29052024-254417
CG-DL-E-29052024-254417

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2022] नई दिल्ली, बुधवार, मई 29, 2024/ज्येष्ठ 8, 1946
No. 2022] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 29, 2024/JYAISHTHA 8, 1946

## वित्त मंत्रालय

## (राजस्व विभाग)

## (केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मई, 2024

**का.आ. 2121(अ)**—केंद्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् "आय-कर अधिनियम" कहा गया है) की धारा 10 के खंड (46क) के उपखंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् "निर्धारिती" कहा गया है), जो उत्तर प्रदेश शहरी योजना विकास अधिनियम, 1973 (1973 का राष्ट्रपति अधिनियम 11) के अधीन गठित एक प्राधिकरण है, को उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित करती है।

2. यह अधिसूचना, इस शर्त के अधीन रहते हुए कि निर्धारिती आय-कर अधिनियम की धारा 10 के खंड (46क) के उपखंड (क) में विनिर्दिष्ट एक या अधिक प्रयोजनों के साथ उत्तर प्रदेश शहरी योजना विकास अधिनियम,1973 (1973 का राष्ट्रपति अधिनियम 11) के अधीन गठित प्राधिकरण के रूप में जारी रहेगा, निर्धारण वर्ष 2024-25 से प्रभावी होगी।

[अधिसूचना सं. 47/2024/फा.सं. 370133/12/2023-टीपीएल]

सौरभ जैन, अवर सचिव (टीपीएल)